संख्या- 97/2700/24-1-14-1041(बजट)/2013 टी0सी0

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2014**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0 पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0 पर बकाया शासकीय ऋण को अंशपूॅजी में परिवर्तित हेतु आयव्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 853/मप्र(वित्त)/विप्र-2/253/बजट/2014-15, दिनांक 25.11.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0 के ऋणों का अंशपूॅजी में परिवर्तित किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 99,71,46,000/- (रूपये निन्यानबें करोड़ इकहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) को स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखि शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान करते है:-

(1) इस धनराशि का नकद आहरण नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग उसी मद हेतु किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) उपर्युक्त धनराशि का आहरण के बाउचर संख्या तथा तिथि की सूचना मिलान कार्य हेतु तत्काल शासन को तथा निधार्रित प्रारूप पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं इलाहाबाद एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि समय-समय पर जारी ट्रान्सफार्मर स्कीम के अनुसार विद्वुत वितरण निगमों को हस्तांतरित किये गये ऋण की राशि की सीमा तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अंशपूॅजी विद्वुत वितरण निगमों में विनियोजित की जायेगी जिससे कि उनके अभिलेखों में दर्शायी गयी शासकीय ऋणों की धनराशि समाप्त हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार रूपये 99,71,46,000/- (रूपये निन्यानबें करोड़ इकहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) को दिनांक 31.03.2014 तक अंशपूॅजी में परिवर्तित माना जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा बिल को ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण विवरण तथा यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित शर्तों का अनुपालन निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त ऊर्जा विभाग को सूचित करेंगे तथा ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुपूरक आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06- उ0प्र0 पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0 के ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा इस राशि का नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा लेखा शीर्षक- "6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-205 संचरण तथा वितरण-02- उ0प्र0 पावर ट्रांसशिमशन कारपोरेशन लि0 को दिये गये ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तन से प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 216/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 97/2700(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in